न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2025/72

अपील संख्या – 35/25

1. घीस्या पुत्र लोहडच्या
2. श्रीकिशन पुत्र भौरया
3. रमन पुत्र मीठया
4. सियाराम पुत्र जौधा
5. रामफल पुत्र लोहडच्या
6. लखन पुत्र किरोडी
7. जगमोहन पुत्र चिरमोली
8. हरि पुत्र बीरवल
9. प्रहलाद पुत्र सुआलाल
10. परशुराम पुत्र सुआलाल
11. नबलकिशोर पुत्र किस्तुरमल
12. नारायण पुत्र रम्बू
13. कैलाश पुत्र किरोडी
14. बत्तूराम पुत्र हजारी
15. मनोहरी पुत्र परसादी
16. रामजीलाल पुत्र गिल्ली
17. शिवदयाल पुत्र चरण
18. हरिनारायण पुत्र भीमराज
19. मृतक मेघराम पुत्र लोहडच्या

19/1. लवकुश पुत्र मेघराम

20. रमेश पुत्र घीसोली
21. मृतक राजू पुत्र जौधा

21/1. भविष्य पुत्र राजू

21/2. मुकेश पुत्र राजू

22. हरप्यारी पत्नि सुखचंद
23. मृतक सुक्कीराम पुत्र मिश्रया

23/1. नाहर सिह

23/2. बनवारी

23/3. मुकेश

24. मुरारी पुत्र गंगू
25. मृतक फौरंती पत्नि रामदयाल

25/1. अमित आयु 12 साल पुत्र स्व0रामदयाल नाबालिंग जरिये संरक्षक चाचा साबूलाल जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली

26. चिरमोली पुत्र रामपाल
27. श्रीराम पुत्र लोहडे
28. श्रीलाल पुत्र गिल्ली
29. पितराम पुत्र रंगली
30. शांति पत्नि रामप्रसाद
31. मुंदटी पुत्र किशोरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:11:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

32. मृतक रामधन पुत्र ठण्डी
32/1. सत्यप्रकाश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
33. गिदौडी पत्नि हेसीराम
34. मृतक दीपू पुत्र हजारी
34/1. मानसिह
34/2. सत्यप्रकाश
35. रामसहाय पुत्र चिम्मनलाल मीना
36. छोटेलाल पुत्र चिम्मनलाल मीना
37. दयाराम पुत्र किस्तुरमल मीना
38. रामसिह पुत्र रम्भूराम मीना
39. राजेश पुत्र भंमर सिह मीना
40. साबूलाल पुत्र हण्डूराम मीना
41. अंकित मीना पुत्र रामदयाल
42. भरौसी पुत्र जयलाल मीना
43. भारती मीना पुत्र मुखराम मीना
44. दर्शनलाल पुत्र हरिनारायण मीना

अपीलांट

वनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 128/14 निर्णय व डिकी दिनांक 7.3.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री पैरोकार सरकार

दिनांक 18.7.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 7.3.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटस द्वारा दावा वावत घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरुस्ती इस आशय का पेश किया कि आराजी साविक ख0न0 2006/1 रकबा 12 बीघा 4 विस्वा, 2061/1/1/2 रकवा 16 विस्वा किस्म चारागाह व ख0न0 2006/2 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा गैर मुमकिन आवादी वाके तन ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन मे स्थित है। ख0न0 2006/2 रकवा [illegible] से वादीगण की आवादी वनी हुई है तथा करीव 40–50 वर्षो से वादीगण भूमि ख0न0 2006 [illegible] 5 बीघा 10 विस्वा वाके ग्राम कटकड मे मकान बनाकर विना किसी रोक टोक व [illegible] से निवास करते चले आ रहे है। जो जमावंदी सम्वत 2038 से 2041 मे गैर मुमकिन आवादी [illegible] है। साविक ख0न0 2006 रकवा 18 वीघा 10 विस्वा के भू प्रबंध विभाग ने हाल ख0न0 1999 रकवा 1 ऐयर, 2000 रकवा 95 ऐयर, 2001

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

रकबा 3.52 है0 कायम किये है तथा भू प्रबंध विभाग ने हाल ख0न0 1999 किस्म गैर मुमकिन खसरा न0 2000 रकबा 95 ऐयर की किस्म बंजड व 2001 रकबा 3.52 है0 कि किस्म बंजड दर्ज कर दी है जबकि भूमि ख0न0 2001 रकबा 3.52 है0 मे से करीब 5 बीघा 10 विस्वा भूमि की किस्म आबादी दर्ज होनी चाहिए थी। इस प्रकार भू प्रबंध विभाग ने आबादी की भूमि की किस्म आवादी की जगह बंजड 1 दर्ज कर रिकार्ड ऑफ राईटस की पवित्रता को नष्ट कर दिया तथा भू प्रबंध विभाग को इस तरह किस्म परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। भूमि ख0न0 2006/2 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा गैर मुमकिन आबादी भूमि रही है तथा कभी भी उक्त भूमि ग्राम कटकड के मवेशियो को चरने के काम मे नही आई बल्कि उक्त भूमि ख0न0 2001 रकबा 3.52 है0 मे से करीब 5 बीघा 10 विस्वा भूमि मे वादीगण करीब 40–50 वर्षो से मकानात बनाकर शांतिपूर्वक निवासी करते चले आ रहे है। दिनांक 30.6.14 को प्रतिवादी मय पटवारी हल्का के मौके पर पहुँचे एवं हाईकोर्ट का हवाला देते हुए भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। तो वादीगण ने प्रतिवादी से कहा कि यह भूमि आबादी की भूमि है चारागाह भूमि नही है। परन्तु प्रतिवादी नही माने एवं अतिक्रमण हटाने पर अडिग रहे। जब वादीगण ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त की तो उसमे ख0न0 1216 वाके तन कटकड चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश थे। वादीगण द्वारा इस तथ्य को प्रतिवादी के सामने रखा तो उन्होने कहा कि हमको हाईकोर्ट के आदेश की पालना करनी है। दिनांक 9.7.14 को वादीगण प्रतिवादी से आकर मिले तो उन्होने कहा कि भूमि पहले आबादी मे दर्ज थी तथा भू प्रबंध विभाग ने बंजड दर्ज कर दिया। आप सक्षम न्यायालय से इन्द्राज दुरूस्ती कराओ नही हो तुमको भूमि से बेदखल करना पडेगा। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। अतः वादी का वाद पत्र अमर का डिक्री फरमाया जावे कि भूमि साबिक ख0न0 2006 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा से बने हाल ख0न0 2001 रकबा 3.52 है0 वाके तन ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन सिटी मे से 5 बीघा 10 विस्वा भूमि को आबादी तथा वादीगण के आवासीय उपयोग उपयोग की है तथा आबादी भूमि है राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांटस द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलाटस का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटस/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे 5 तनकीयात कायम की गई तथा तनकी संख्या 1 ता 4 वादीगण को साबित करनी थी तथा तनकी संख्या 5 प्रतिवादी को सावित करनी थी। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे किसी भी तनकी का अलग अलग विवेवन नही कर निर्णय पारित कर दिया जबकि कानूनन [illegible] न्यायालय को प्रत्येक तनकी का अलग अलग विवेचन कर निष्कर्ष निकालना [illegible] तनकी वादीगण के पक्ष मे साबित है तथा कौनसी तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे साबित है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी वार निर्णय पारित नही कर एक साथ निर्णय पारित कर [illegible] मे भारी कानूनी भूल की है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:55 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकारी (राजस्व) सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपारस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 1 वादीगण ख0न0 2006/2 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा ग्राम कटकड मे मकानात बनाकर निवास करते चले आ रहे है जिसे सेटलमेट विभाग ने गैर मुमकिन आबादी की बजाय बंजड दर्ज कर दिया जिसे वादीगण ने साबिक जमाबंदी, हाल जमाबंदी ,मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत कर भली भॉति साबित किया है। जो रिकार्ड से संबंधित तनकी थी जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अनदेखा कर उक्त तनकी को वादीगण के खिलाफ साबित मानने मे भारी कानूनी भूल की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 2 जिसे साबित करने का भार वादीगण पर था जिसे वादीगण ने रिकार्ड से भली भॉति साबित किया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 3 ग्राम कटकड स्थित विवादित आराजीयात ख0न0 2001 रकबा 3.52 है0 मे से 5 बीघा 10 विस्वा भूमि को वादीगण आबादी मे दर्ज कराने के अधिकारी है । उक्त तनकी को वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से भली भॉति साबित किया है तथा वादीगण ने गवाह पी डब्लू 1 घीस्या, पी डब्लू 2 श्रीकिशन पी डब्लू 3 लखन पी डब्लू 4 पितराम के शपथ पत्रो से भली भॉति साबित किया है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा जिरह भी नही की है तथा वादीगण की उक्त साक्ष्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 5 विवादित आराजीयात हाल जमाबंदी ख0न0 2001 चारागाह दर्ज रिकार्ड है नक्शा शीट मे तरमीम होना नही पाया जाता है उक्त तनकी को प्रतिवादी को साबित करना था तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त तनकी को न तो मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया है और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण व वादीगण के गवाहान का अपने निर्णय मे कही भी विवेचन नही किया है और ना ही उन पर गौर किया तथा बिना माईण्ड एप्लाई किये उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर भारी कानूनी भूल की है। जो निरस्त कियें जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो को न तो अपने वाद पत्र मे डिस्कस किया और ना ही उल्लेख किया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.25 को अपास्त किया जाकर वादीगण का वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता पैरोकार सरकान ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि मिलान क्षैत्रफल मुताबिक साबिक ख0न0 2006 रकबा 18 बीघा 2 विस्वा से हाल ख0न0 1999 रकबा 0.01, 2000 रकबा 0.95 है0, 2001 रकबा 3.52 है0 कायम किये गये जिनका हाल जमाबंदी ग्राम कटकड से 2067–70 खाता संख्या1216 चारागाह मे ख0न0 1999 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन, ख0न0 2000 रकबा 0.95 बंजउ 1 ख0न0 2001 रकबा 3.52 है0 किस्म [illegible] दर्ज रिकार्ड है। साबिक ख0न0 2006/2 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा मे सम्वत 2038–41 मे [illegible] दर्ज था। भू प्रबंध विभाग द्वारा वर्तमान मे मुताबिक भू प्रबंध मिलान क्षैत्रफल [illegible] हुए चारागाह भूमि के खाते मे सही अंकित किया है। वर्तमान मे भूमि ख0न0 2001 रकबा 3.52 है0 [illegible]गाह के खाते मे दर्ज है। अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गई नक्शा शीट हाल व गत मे आबादी भूमि की तरमीम नही होने के कारण भू प्रबंध विभाग द्वारा किस्म परिवर्तन किया गया है जो सही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही विधिक रूप से वादीगण का वाद पत्र खारिज किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि मुंताबिक जमाबंदी सम्वत 2038 से 2041 मे खसरा न0 2006/2 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन सिटी गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है। जिसमे आबादी बसी होने के तथ्य को गवाह पी डब्लू 1 ता पी डब्लू 4 द्वारा स्वीकार किया गया है जिनमे द्वारा आबादी करीब 40 से 50 वर्षो पूर्व की होना स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी तहसीलदार हिण्डौन द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जबाब के बिन्दु संख्या 5 मे भी साबिक ख0न0 2006/2 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा को आबादी मे दर्ज होना माना है। इस प्रकार भू प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से भूमि को बंजड 1 दर्ज किया गया है जबकि भू प्रबंध विभाग को भूमि की किस्म बदलने का कोई अधिकार हासिल नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सही रूप से विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि वादी/अपीलांट का वाद पत्र राजस्व रिकार्ड एवं मौखिक साक्ष्यो से बखूबी साबित है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के मु0न0 128/2014 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.25 को अपास्त किया जाता है। आराजी साबिक ख0न0 2006 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा से बने हाल ख0न0 2001 रकबा 3.52 है0 वाके तन ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन सिटी मे से 5 बीघा 10 विस्वा भूमि को गैर मुमकिन आबादी मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त रकबा 5 बीघा 10 विस्वा भूमि से वादीगण/अपीलांटस के आवासीय उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.7.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:55 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

1. घीस्या पुत्र लोहडच्या
2. श्रीकिशन पुत्र भौरया
3. रमन पुत्र मीठया
4. सियाराम पुत्र जौधा
5. रामफल पुत्र लोहडच्या
6. लखन पुत्र किरोडी
7. जगमोहन पुत्र चिरमोली
8. हरि पुत्र बीरवल
9. प्रहलाद पुत्र सुआलाल
10. परशुराम पुत्र सुआलाल
11. नबलकिशोर पुत्र किस्तुरमल
12. नारायण पुत्र रम्बू
13. कैलाश पुत्र किरोडी
14. बत्तूराम पुत्र हजारी
15. मनोहरी पुत्र परसादी
16. रामजीलाल पुत्र गिल्ली
17. शिवदयाल पुत्र चरण
18. हरिनारायण पुत्र भीमराज
19. मृतक मेघराम पुत्र लोहडच्या

19/1. लवकुश पुत्र मेघराम

20. रमेश पुत्र घीसोली
21. मृतक राजू पुत्र जौधा

21/1. भविष्य पुत्र राजू

21/2. मुकेश पुत्र राजू

22. हरप्यारी पत्नि सुखचंद
23. मृतक सुक्कीराम पुत्र मिश्रया

23/1. नाहर सिह

23/2. बनवारी

23/3. मुकेश

24. मुरारी पुत्र गंगू
25. मृतक फौरंती पत्नि रामदयाल

25/1. अमित आयु 12 साल पुत्र स्व0रामदयाल नाबालिंग जरिये संरक्षक चाचा साबूलाल जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली

26. चिरमोली पुत्र रामपाल
27. श्रीराम पुत्र लोहडे
28. श्रीलाल पुत्र गिल्ली
29. पितराम पुत्र रंगली
30. शांति पत्नि रामप्रसाद
31. गुटटी पुत्र किशोरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

32\. मृतक रामधन पुत्र ठण्डी
32/1. सत्यप्रकाश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
33\. गिदौडी पत्नि हेसीराम
34\. मृतक दीपू पुत्र हजारी
34/1. मानसिह
34/2. सत्यप्रकाश
35\. रामसहाय पुत्र चिम्मनलाल मीना
36\. छोटेलाल पुत्र चिम्मनलाल मीना
37\. दयाराम पुत्र किस्तुरमल मीना
38\. रामसिह पुत्र रम्भूराम मीना
39\. राजेश पुत्र भंमर सिह मीना
40\. साबूलाल पुत्र हण्डूराम मीना
41\. अंकित मीना पुत्र रामदयाल
42\. भरौसी पुत्र जयलाल मीना
43\. भारती मीना पुत्र मुखराम मीना
44\. दर्शनलाल पुत्र हरिनारायण मीना

अपीलांट

बनाम

1\. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

अपील संख्या 35/25 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.25 दावा घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती । यह अपील संख्या 35/25 व तारीख 18.7.2025 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री राधेश्याम शर्मा अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 पैरोकार सरकार। उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है । आराजी साबिक ख0न0 2006 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा से बने हाल ख0न0 2001 रकबा 3.52 है0 वाके तन ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन सिटी मे से 5 बीघा 10 विस्वा भूमि को गैर मुमकिन आबादी मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 18.7.2025 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	---	---	स्टाम्प वकालतनामा	---	---
स्टाम्प वकालतनामा	---	---	स्टाम्प अर्जी	---	---
इजराय हुक्मनामा	---	---	इजराय	---	---
वकील फीस बाबत	---	---	[illegible]	---	---

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर